प्रादेशीय विधिक कार्याशाला भोपाल म.प्र. में राष्ट्रीय कल्याण सचिव श्याम सुन्दर पाण्डेय द्वारा संबोधित करते हुए।

प्रदेश महासचिव शेख खुर्शीद मुहम्मदी द्वारा प्रदेशीय विधिक कार्यशाला में सील्ड एवं शाल से सम्मानित करते हुए।

राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राजेश शुक्ला द्वारा थाना अध्यक्ष पश्चिम शरीरा कौशाम्बी उ.प्र. को सील्ड द्वारा सम्मानित करते हुए।

राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राजेश शुक्ला द्वारा जिला कार्यालय पश्चिम शरीरा कौशाम्बी का उद्घाटन करते हुए।

चेयरमैन मानिकपुर कुण्डा प्रतापगढ़ के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेशीय विधिक कार्यशाला में पूजा अर्चना करते हुए।

जिला विधिक कार्यशाला गया बिहार में मंचासीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राजेश शुक्ला एवं पदाधिकारीगण।

जिला विधिक कार्यशाला लखनऊ उ.प्र. में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जिला अध्यक्ष को अजय कान्त द्विवेदी को प्रमाण पत्र द्वारा सम्मानित करते हुए।

राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राजेश शुक्ला द्वारा जिला कार्यालय लखनऊ उ.प्र. का उद्घाटन करते हुए।

NACOCI के पदाधिकारीगण

आनन्द-कुमार-त्रिपाठी, मंडल प्रवक्ता, इलाहाबाद (उ.प्र.)
सोमनाथ-बंसल, मंडण्ल प्रमुख, एस.सी.एस.टी. संरक्षण, इला.
मो.-कैश-खान, मंडल प्रमुख बाल संरक्षण, इलाहाबाद (उ.प्र.)
अरुण कुमार पाण्डेय, मंडल संगठन सचिव, इलाहाबाद (उ.प्र.)
अजय-कान्त-द्विवेदी, जिला अध्यक्ष, लखनऊ (उ.प्र.)
डा. अबरार अहमद खान, जिला अध्यक्ष, सिवान (बिहार)

रंजीत कुमार पाण्डेय, जिला अध्यक्ष, हजारीबाग (झारखण्ड)
श्रीकान्त द्विवेदी, जिला प्रभारी, अमेठी (उ.प्र.)
शेख मुहम्मद हसन, जिला अध्यक्ष, इलाहाबाद (उ.प्र.)
अमर बौरी, जिला उपाध्यक्ष, वर्धमान (पश्चिम बंगाल)
विनोद कुमार, जिला उपाध्यक्ष, अम्बेडकर नगर (उ.प्र.)
कमलेश कुमार, जिला उपाध्यक्ष, समस्तीपुर (बिहार)

शेष मणि विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष, अम्बेडकर नगर (उ.प्र.)
भानू-प्रताप-सिंह, जिल महासचिव, अम्बेडकर नगर (उ.प्र.)
अनिल-कुमार, जिला जनसंपर्क अधिकारी, अम्बेडकर नगर (उ.प्र.)
काजल मिश्रा, जिला प्रमुख महिला सं.रायबरेली
मुहम्मद शाहिद, जिला अध्यक्ष, चेम्बूर, मुम्बई (महाराष्ट्र)
मो.-मोहतसीम-फारुकी, जिला सचिव युवक संरक्षण, इलाहाबाद उ.प्र.

डा. धर्मराज, जिला प्रभारी, जौनपुर (उ.प्र.)
विध्या-सागर-यादव, जिला अध्यक्ष, बलिया (उ.प्र.)
अनुराग-जायसवाल, जिला अध्यक्ष, वाराणसी (उ.प्र.)
विजय-कुमार, जिला अध्यक्ष, भागलपुर (बिहार)
विजय कुमार पाण्डेय, जिला उपाध्यक्ष, कौशाम्बी
अब्दुल्लाह 'मुहम्मदी', जिला–प्रमुख (अल्पसंख्यक संरक्षण), मिर्जापुर (उ.प्र.)

डॉ0 एम0 लाल, उपाध्यक्ष (स्वास्थ्य संरक्षण), मिर्जापुर (उ.प्र.)
विवेक k. अग्रहरि, मीडिया–सचिव, मिर्जापुर (उ.प्र.)
अशोक-कौशल, जिला प्रभारी, कौशाम्बी
मुहम्मद-आदिल, जिला महासचिव, मिर्जापुर (उ.प्र.)
अशोक यादव, जिला–उपाध्यक्ष, मिर्जापुर (उ.प्र.)
विनय-कुमार, तहसील अध्यक्ष, अम्बेडकर नगर (उ.प्र.)

प्रियेश कटियार, नगर अध्यक्ष, मिर्जापुर (उ.प्र.)
प्रफुल्ल कु. सिंह, नगर–उपाध्यक्ष, मिर्जापुर (उ.प्र.)
सुजीत कु. सोनी, जिला संगठन–सचिव, मिर्जापुर (उ.प्र.)
वृजभूषण, तहसील उपाध्यक्ष, अम्बेडकर नगर (उ.प्र.)
जैगम फारुकी, तहसील अध्यक्ष सोरांव, इलाहाबाद (उ.प्र.)
अब्दुल अजीम शेख, जिला–प्रवक्ता, मिर्जापुर (उ.प्र.)

NACOCI के कार्यक्रमों की झलकियां

प्रदेशीय विधिक कार्यशाला मिर्जापुर में स्मारिका का विमोचन करते राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण

प्रदेशीय विधिक कार्यशाला मिर्जापुर उ.प्र. में सदस्य एवं पदाधिकारीगण।

आईये ! बनें, देश के सच्चे सिपाही

मानव एक सामाजिक प्राणी है, जिसे ऊपर वाले ने बुद्धि) और विवेक दिया है, जो उसे अन्य जीवों से अलग करता है। मानव, समाज के साथ रहता है, जिसकी शुरूआत घर से होकर पूरे विश्व स्तर तक पहुँचती है। एक सु:खद, शान्तिपूर्ण, अमन व चैन तथा तरक्की की राह पर अग्रसर समाज तभी वुजूद में आता है, जब एक मानव, दूसरे मानव से प्रेम, सहिष्णुता व अपनापन रखते हुए इन्सानियत से ओत–प्रोत व्यवहार आचरण में लाता है तथा जो अपने लिये पसन्द करता है, वही अपने मानव भाई के लिये भी पसन्द करता है और ये तभी संभव है जबकि मानव के अन्दर ईश भय समाया हो। जैसे व्रत रखने के समय वो खाने–पीने से परहेज़ करता है, जबकि उसे एकान्त के बहुत अवसर प्राप्त होते हैं। चाहे तो छुप–छुपाकर खा–पी ले, पर वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि उसे ये विश्वास होता है कि कोई देखे या न देखे ऊपर वाला देख रहा है, यही ईश भय है। हर प्रकार के भ्रष्टाचार, अत्याचार, उत्पीड़न एवं अपराध करते समय यदि मानव यही ईश भय अपने अन्दर रख ले तो समाज का कल्याण हो जाये। इसी प्रकार से यदि सभी मानव के अन्दर ईश भय आ जाये तो समाज से बुराई समाप्त हो जाये। किन्तु आज ऐसा नहीं है। ईश भय का अभाव है। मानव में अपराध बोध समाप्त सा हो गया है। मानव, मानव का दुश्मन बन बैठा है तथा सांसारिक मोह, माया काम तथा अधुनिक संसाधनों की चाह में उसने भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपराध, उत्पीड़न करते हुए समाज को एक अशान्त, भयपूर्ण माहौल प्रदान किया तथा अमन व चैन से दूर वातावरण में पहुँचा दिया है जिस पर अब अंकुश लगाना अति आवश्यक हो गया है। इस दिशा में प्रयास करने की इन्सानी ज़िम्मेदारी सभी धर्म, जाति व वर्ग के लोगों की है। समाज सेवी डॉ0 राजेश शुक्ला ने यू0पी0 की धरती से ''नेशनल एण्टी करप्शन एण्ड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इण्डिया'' का गठन नेशनल एण्टी करप्शन एण्ड ऑपरेशन ट्रस्ट के अन्तर्गत पंजीकृत कराके एक गैर राजनीतिक संगठन का गठन करके इस पुण्य कार्य की ओर जो सराहनीय पहल किया है, उसका हम सभी लोगों को स्वागत करना चाहिये तथा इस संस्था के साथ लगकर समाज में भ्रष्टाचार, अत्याचार, उत्पीड़न, असमाजिकता, अपराध आदि के बढ़ते हुए सैलाब को रोकने हेतु आगे आना चाहिये। अब आपको एक मंच, एक संगठन मिल गया है, जिसके माध्यम से आप संविधान के अन्तर्गत रहते हुए इन तमाम बुराईयों से लड़ने का कानूनी तरीक़ा सार्वजनिक तौर पर अवाम तक पहुँचा कर उन्हें जागरूक कर सकते हैं तथा संवैधानिक तरीके से भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपराध, उत्पीड़न आदि के विरू) कार्य करने वाले देश के एक सच्चे सिपाही की तरह देश में अमन, चैन, शान्ति व भाईचारा क़ायम करने में अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के महासचिव के साथ राष्ट्रीय संगठन प्रभारी के पद का निर्वहन करते हुए अनेक लोगों तक संगठन के सम्बन्ध में जानकारी पहुँचाते हुए उन्हें संगठन से जोड़ने तथा जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ और पीड़ितों की सहायता हेतु अपने सामर्थ्यानुसार अल्लाह के करम से लगा हूँ। अतः आपको भी लगने के लिये कहता हूँ। अन्त में, मैं विशेष रूप से मुस्लिम भाईयों को कुरआन का हवाला देते हुए ये सन्देश देता हूँ–''नेकी और परहेज़गारी में एक–दूसरे की मदद करते रहे और गुनाह और जुल्म व ज़्यादती में मदद न करो। (सूरः माएदह, पारः 6, आयत–2)'' आईये, हम सभी लोग किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, वर्ग, नस्ल या रंग व क्षेत्र के हों, इस संस्था को अपनी संस्था मानते हुए इसके साथ लग कर देश में फैले भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अत्याचार, उत्पीड़न, अपराध व सामाजिक तथा नैतिक बुराईयों के खिलाफ़ लड़ने वाले तथा अवाम में जागरूकता पैदा करने वाले देश के सच्चे सिपाही बनें। अल्लाह हमें इसकी प्रेरणा दे। (आमीन)

आपका शुभेच्छु

(शेख खुर्शीद ''मुहम्मदी'')
राष्ट्रीय संगठन–सचिव
मो0 – 09919737053

NACOCI के पदाधिकारीगण

बीर चन्द्र पाण्डेय, प्रदेश उपाध्यक्ष, दिल्ली
कृष्ण कान्त पारेख, प्रदेश संगठन सचिव, दिल्ली
सुशील कुमार, प्रदेश प्रवक्ता, दिल्ली
चन्द्र प्रकाश गोयल, प्रदेश कोआर्डिनेटर, राजस्थान
राकेश त्रिपाठी, प्रदेश कल्याण सचिव, राजस्थान

श्रीराम पटेल, प्रदेश संगठन सचिव (उ.प्र.)
आशीष मिश्रा, प्रदेश कोआर्डीनेटर, दक्षिण जोन (उ.प्र.)
अग्नि सिंह पटेल, प्रदेश अध्यक्ष, हरियाण
तुलसी राम केवट, प्रदेश उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र
उमेश चन्द्र मिश्रा, प्रदेश प्रमुख (शिक्षा संरक्षण), उत्तर प्रदेश

साक्षी केसरवानी, प्रदेश सचिव, महिला संरक्षण म.प्र.
हंश राज कुमार, अधि. जिला प्रमुख (समाजिक संरक्षण), जयपुर (राजस्थान)
संदीप कुमार, जिला अध्यक्ष, दिल्ली, उत्तरी
कमल शर्मा, जिला अध्यक्ष, दिल्ली पूर्वी
महेष कुमार श्रीवास्तव, अधि. जिला महासचिव, जयपुर (राजस्थान)

राजेश त्रिपाठी, जिला प्रमुख (सामाजिक संरक्षण), जयपुर (राजस्थान)
ऊषा सोनी, जिला सचिव (महिला संरक्षण), जयपुर (राजस्थान)
भगवान बलेरिया, अधिवक्ता जिला प्रभारी, बाराँ (राजस्थान)
चिरंजी लाल बैरवां, अधि. जिला प्रभारी, सवई माधेपुर (राजस्थान)
राकेश रोशन, अधि. जिला विधि–सचिव, जयपुर (राजस्थान)

NACOCI के पदाधिकारीगण

29

Governed By

NATIONAL ANTI CORRUPTION & OPERATION TRUST

स्मारिका

NACOCI

सत्यमेव जयते

C.R.35/60-12

National Anti Corruption & Operation Committee of India

Central Office

H.O: RZ-26p/180 Indra Park Magal Bazar Gali Near Kailash Puri, Sagarpur, New Delhi-110045

Mob. 09717808825, 09415106962, 9984760331

Central Adminstarion Office

1st Floor, Rajendra Market, Opp. Post Office: Kunda, Paratapgarh (U.P.)-230204

Website-www.nacoci.webs.com Email : rsanticorruption@gmail.com

JUDGE HIGH COURT AT ALLAHABAD

MESSAGE

it gives an immense pleasure for me that" National Anti Corruption and Operation Trust" has invited me to unveil the magazine published by At" National Anti Corruption and Operation trust" has established a National Level Organization, Main Object of trust is to create a movement against Corruption in economic and arbitrary exercise of Power which full fill the duty of citizen towards its nation. The Trust gas also its inclination to up lift the educationally, Socially and economically weak women and persons and to established a complete harmony in the society, forgetting discrimination due to religion, castc social and educational backwardness. The corruption has become a main obstruction in the economic development of the country if the trust achieves its target in controlling/minimizing the corruption, it will certainly help the country in its development and operation trust"

RS Maurya

Justice R.S.R. Maurya
Judge High Court
Allahabad

NACOCI के पदाधिकारीगण

28

राष्ट्रीय नव निर्माण एवं जन जागृति अभियान हेतु स्थापित एवं संचालित

अंग्रेजों के द्वारा सैकड़ो वर्षो तक शोषण, उत्पीड़न अपमान झेलते भारत के जन मानस ने अन्ततः यह संकल्प कर ही लिया कि वे भारत से अंग्रेजों को निकाल कर ही दम लेगें। करोड़ों भारतवासियों के इस महान संकल्प को भारत के सपूतों ने समझा और मुम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से 8 अगस्त 1942 को ''अंग्रेजों भारत छोडो'' की आवाज बुलन्द कर उन संकल्पों को शब्द व स्वरूप प्रदान किया। यह आवाज प्रत्येक भारतवासी की आवाज बन गई तथा स्वतन्त्रता अभियान में नौजवान, महिलायें, किसान, मजदूर सहित अनेकों बुद्धिजीवियों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी।

इस महान संकल्प के माध्यम से ही हमारे राष्ट्र को 15 अगस्त 1947 को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। आजादी के 7 दशक पूरे हो रहे है किन्तु अंग्रेजों को हटाकर जिस भारत की रचना हम करना चाहते थे, नहीं कर सके। क्या भारत के स्कूल, अस्पताल, न्यायालय, विधानालय, सचिवालय, समाचारालय, पत्रालय आदि की व्यवस्था जो भारतीय जनमानस को साधन एवं सुविधा प्रदान करने के लिए बनाये गये थे, वह ठीक ढ़ग से कार्य कर रहे हैं ? फिर भी हम हाथ पर हाथ रखकर भारत की दुर्दशा देखते हुए भी अन्जान बने रहेगें ?

अतः सन् 1942 की भाँति आज प्रत्येक भारतवासी को पुनः एक संकल्प करना होगा कि भारत की दुर्दशा को ठीक करना है। इसी संकल्प को धारण कर दिनांक 20 सितम्बर 2012 को ट्रस्ट के गठन की प्रक्रिया का प्रारम्भ किया गया तथा मेरे (डा0 राजेश शुक्ला) व श्री कामता प्रसाद के द्वारा नेशनल एण्टी करप्शन एण्ड ऑपरेशन ट्रस्ट को वैधानिक स्वरूप प्रदान कर 29 अक्टूबर 2012 को पंजीकृत कराया गया जिसका पंजीकृत संख्या 35/60–12 है। स्वतन्त्रता संग्राम के शहीदों के संकल्पों को लेकर हम भ्रष्टाचार और अत्याचार के विरोध में बिगुल बजाकर उन संकल्पों को स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रयास रत हैं। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि प्रत्येक भारतवासी हमारे इस अभियान में कन्धे से कन्धा मिलाकर भारत के नव निर्माण में हमारे संगठन का सहयोग करेगा।

इसी कामना के साथ !

आपका
डा0 राजेश शुक्ला
राष्ट्रीय अध्यक्ष
नेशनल एण्टी करप्शन एण्ड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इण्डिया

'विचार हमारा-आचरण आपका'
उठो धरा के वीर सपूतों, राष्ट्र का नव निर्माण करो।
भ्रष्टाचार मिटाओं जग से जन-जन का कल्याण करो।

''नेशनल एण्टी करप्शन एण्ड ऑपरेशन कमेटी आफ इण्डिया'' राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार एवं अत्याचार के विरूद्ध जन जागृति का अभियान चलाने वाली स्वयंसेवी पंजीकृत संगठन है। जो कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में उनके भ्रष्टाचार मुक्त भारत के नवनिर्माण के सपने को अपने सक्रिय सदस्यों के माध्यम से पूर्ण करने लिए संकल्पित है।

जैसा कि हम सभी जानते है कि आज भारत को स्वतंत्र हुए 7 दशक पूर्ण होने वाले हैं। इस समय काल में राजनेता से लेकर चपरासी तक भ्रष्टाचारिता के संरक्षक बनकर सम्पूर्ण भारत की अर्थ व्यवस्था का मनमाना दोहन कर हम सभी को विश्व बैंक, जैसी संस्थाओं का कर्जदार बनाकर अपन वैभव और विलासिता की पूर्ति करने में संलग्न है, उनके इस आचरण को हम सभी ने अपनी मौन स्वीकृति देकर उन्हें और भी फलने-फूलने का मौका देकर अपनी ही संतति के साथ अन्याय कर रहे है।

परिणामतः आज राजनैतिक जन प्रतिनिधियों ने जन चिंतन छोड़कर तथा अपने अधीनस्थ प्रशासनिक नौकरशाही से सांठ-गांठ कर अपने-अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सामाजिक अत्याचार, उत्पीड़न तथा भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का स्वरूप प्रदान करने में अग्रसर होकर राष्ट्रीय विकास को लगातर नुकसान पहुँचाने का ही कार्य किया है।

आज संख्या में मात्र कुछ हजार राजनैनिक व्यक्ति व कुछ लाख कर्मचारियों ने संगठित होकर एक अरब से अधिक जनता का शोषण करके देश को कंगाल कर युवा वर्ग के आगे अंधकारमय भविष्य को खड़ा कर दिया है जिसके कारण आज युवा पीढ़ी भी दिग्भ्रमित होकर अनाचार, अपराधीकरण, व नशीले पदार्थो के सेवन में लिप्त होकर अपना भविष्य बर्बाद कर रही है। वर्तमान आतंकवादी संगठनों की बढ़ती संख्या इसी कुण्ठा की देन है। जो कि आज पूरे विश्व के लिए कष्टप्रद एवं मानवता को मिटाने में संलग्न है। ऐसी परिस्थितियों में भारत जैसे विकासशील राष्ट्र को सर्वप्रथम भ्रष्टाचार से मुक्त करने में राष्ट्रपति के सन्देश (इण्डिया विजन 2009) को जन-जन तक पहुँचाकर भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों, राजनैतिक व्यक्तियों के विरूद्ध जागृति अभियान चलाकर उनके मार्ग को अवरूद्ध करना होगा, जिससे जनमानस का जीवन वास्तविक स्वतंत्रता का लाभ उठा सके तथा राष्ट्र को गौरवान्वित कर भारत को विकासशीलता से ऊपर उठाकर विकसित राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत कर सकें तथा स्वयं भी स्वाभिमान पूर्वक रहकर देश की मर्यादा को पुनः स्थापित कर सकें।

आइए! हम सब मिलकर आज संकल्प लें कि हम स्वयं के स्तर पर भ्रष्टाचार एवं अत्याचार से मुक्त रहकर पूरे राष्ट्र में इस अभियान को अपना राष्ट्रीय कर्तव्य समझकर तन-मन-धन से अपना सम्पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे तथा अपने संगठन के माध्यम से न्याय एवं भारतीय संविधान की रक्षा करने में अपने जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को एकजुट करके राष्ट्र रक्षक बन कर जनसेवा के इस भागीरथी प्रयास को अवश्य ही सफल बनायेंगे।

भ्रष्टाचार एवं अत्याचार से मुक्त भारत के नवनिर्माण में आपको मुख्य रूप से साहस, कौशल, आत्मविश्वास, चरित्र एवं संगठन शक्ति को विकसित कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्य करना होगा। जिसके लिए संगठन समय-समय पर सभी सदस्यों को प्रशिक्षण व सहयोग प्रदान करेगा।

इसी कामना के साथ
आपका – हर्ष वर्धन जैन
प्रदेश अध्यक्ष (म.प्र.) – नेशनल एण्टी करप्शन एण्ड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इण्डिया

श्याम लाल विश्वकर्मा
राष्ट्रीय कल्याण सचिव

समस्त पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

नेशनल एण्टी करप्शन एण्ड ऑपरेशन कमेटी का प्रत्येक पदाधिकारी तथा अन्य नागरिक भी अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 43 के अनुसार कम से कम तीन पदाधिकारियों की उपस्थिति में किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में कोई गैर जमानती या संज्ञेय अपराध करता है या कोई उद्घोषित अपराधी है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ध्यान रखें यदि कोई ऐसी घटना आपके सामने घटित हो रही हो तो उसका आपके पास सबूत होना अनिवार्य है। तभी उस अपराधी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी विलम्ब के पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या पुलिस थाने के हिरासत में भेज देगा। यदि पुलिस अधिकारी को विश्वास हो जाता है कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध नही किया है तो उस व्यक्ति को तुरन्त छोड़ दिया जायेगा। अर्थात इस धारा के प्रावधानों के अनुसार कोई भी आम व्यक्ति ऐसे किसी अपराधी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा –

(क) जो उसकी उपस्थिति मे संज्ञेय या गैर जमानती अपराध करें।
(ख) जो अपराधी घोषित हो।

कोई भी पदाधिकारी अर्थात आम व्यक्ति किसी संदेह या सूचना के अधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। बल्कि उसकी उपस्थिति में अपराध किया जाना आवश्यक है।

जिन्दगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है।
रास्ते पर तो सभी चलते है, जो रास्ते बनाये वही इन्सान है।।

श्याम लाल विश्वकर्मा
राष्ट्रीय कल्याण सचिव
भारत

अपनों से अपनी बात

प्रिय बन्धुवर,

विश्व में मानव से समाज, समाज से समुदाय, समूहों से राज्य और राज्यों से राष्ट्रों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार मानव ही राष्ट्र की मूलभूत इकाई है। मानव विहीन राष्ट्र की परिकल्पना अर्थहीन है। समस्त प्राणियों में ''मानव'' नाम का ही ऐसा प्राणी है जिसे मस्तिष्क प्रदान करके प्रकृति ने स्वयं व अन्य सभी प्राणियों के संरक्षण का उत्तर दायित्व सौंपा है। संसार की समाज संरचना में मानव द्वारा अन्य प्राणियों का उपयोग व उपभोग करें उन्हें काल, देश तथा समाज के अनुसार सजाया व संवारा गया है तथ जो स्वरूप हम संसार को आज देख पाये है उसका कर्ता सिर्फ मानव मस्तिष्क ही है। बच्चे के जन्म से ही कुछ अधिकारों की स्वाभाविक आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, जो जीवन पर्यन्त भिन्न-भिन्न स्थितियों में चलती रहती है। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसे कार्यक्रम (अधिकार) होते है जिन्हें सम्पादित करना समाज अथवा राज्य का दायित्व होता है।

दिनेश चन्द्र विश्वकर्मा प्रदेश अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल

नेशनल एण्टी करप्शन एण्ड ऑपरेशन कमेटी (रजि0) का जन्म

आज के समय में जहाँ चारों ओर भ्रष्टाचार रिश्वत खोरी, लूटपाट, कत्ल, अपराध भारी संख्या में हो रहे हैं और पुलिस तथा हमारा प्रशासकीय तंत्र यह सब जानते हुए भी अंधा और मूक बना हुआ है। वहीं अपराधों से त्रस्त, परेशान, दुखी भारत का स्वतंत्र नागरिक भारत के कानूनों में अपनी सुरक्षा की तलाश कर रहा हैं लेकिन अनपढ़ और अज्ञानता के कारण कोई भी हल नहीं ढूँढ पाता है और ताउम्र चनों में घुन की तरह पिसता है और हमारा सुस्त प्रशासन अपराधों से त्रस्त नागरिकों को कोई सहारा नहीं दे पाता। पुलिस प्रशासन के पास जाते हुए एक आम नागरिक को भय लगता हैं कि कहीं वह किसी और पचड़े में न पड़ जाए। इन्ही सब कारणों से ऐसे समय में समाज सेवा में रूचि रखने वाले समाज सेवी डॉ0 राजेश शुक्ला ने विचार बनाया कि क्यों न एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो अखिल भारतीय स्तर पर हो और जिसका मूल उद्देश्य मानव की रक्षा तथा अपराध मुक्त समाज जनहित के कार्य करना तथा जनता को उसके मौलिक अधिकारों के कार्य करना ताकि जनता को उसके मौलिक अधिकारों के हित में जागृत करना हो इसी विचार धारा को लेकर डा0 राजेश शुक्ला ने विद्वानों तथा समाज सेवकों से इस बावत बात की। जिसका समर्थन सभी समाज सेवा का कार्य करने वालों ने किया। इस प्रकार वर्ष 2012 में एक ट्रस्ट का जन्म हुआ। जिसका नाम नेशनल एण्टी करप्शन एण्ड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इण्डिया रखा गया। इस संगठन को सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड कराया गया। संगठन के नियम उपनियम एवं इसके उद्देश्य बनाये गये। इसकी शाखाएं समस्त भारत में खोली गई। जिससे कि अपने कार्यो को सफलता पूर्वक सुचारू रूप से कर सके। इस संगठन के जन्मदाता डा0 राजेश शुक्ला को अनेकों प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंत में विजय हुए इसी कारण इन्होनें हर परिस्थितियों का मुकाबला सही ढंग से किया।

अमित कुमार
रा. प्रमुख (युवक संरक्षक)
भारत

नियमावली

1. कमेटी का नाम : राष्ट्रीय एन्टी करप्शन एण्ड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इण्डिया
2. पंजीकृत कार्यालय : दरियापुर शमसपुर कुण्डा प्रतापगढ़ (उ.प्र.)–230204
3. कमेटी का पता : आर.जेड–26पी/180 इन्दा पार्क मगल बाजार गली निकट कैलाशपुरी सागरपुर नई दिल्ली–110045
4. कमेटी का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष
5. संस्था का उद्देश्य : जिन उद्देश्यों के लिए संस्था की स्थापना की गई है वह निम्न प्रकार है,

1. भ्रष्टाचार (आर्थिक, वैचारिक एवं आधिकारिक दुराचरण) एवं अत्याचार के विरूद्ध जनता के हित के लिए कमेटी द्वारा जन आंदोलन चलाना।

2. भारतीय संविधान के अन्तर्गत जनता के हित के लिये देश में एकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता, विकास, शान्ति एवं समृद्धि के लिए जन–जागृति करना और सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत सतर्कता विभाग, सी0बी0आई0, एण्टी करप्शन ब्यूरो, मानवाधिकार आयेग व न्यायालय आदि को सक्रिय सहयोग करना।

3. समता–समानता, सत्य–अहिंसा एवं मानवीय धर्म को एक सूत्र में पिरोकर समाज को भय और शोषण विहीन बनाने के उद्देश्य से कार्य करने वाली यह एक गैर राजनैतिक सामाजिक संस्था होगी समाज के उत्थान हेतु कार्य करेगी।

4. मानव कल्याण हेतु जन मानस में जागरूकता लाना अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक दलितों, निर्धनों पिछड़े व पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करना।

5. भ्रष्टाचार (आर्थिक, वैचारिक एवं आधिकारिक दुराचरण) एवं अत्याचार (मानसिक, शारीरिक आर्थिक एवं सामाजिक) के विरूद्ध भारतीय संविधान के अन्तर्गत कानूनी कदम उठाकर समाज से नेस्तनाबूद करना। सरकारी योजना/उपक्रमों परिवार नियोजन अभियान, एड्स जागृति अभियान, वृक्षरोपण अभियान, साक्षरता अभियान, लघु एवं कुटीर उद्योग उत्थान अभियान तथा जन विकास के अन्य अभियानों को सफलता पूर्वक चलवना/ चलाना एवं सम्बन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों से सम्पर्क करना। सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों के कार्यालयों से पत्र व्यवहार द्वारा कार्य की पूर्णता एवं गुणवत्ता के लिए कार्यवाही करना। राष्ट्रीय एण्टी करप्शन एण्ड ऑपरेशन कमेटी के द्वारा ''विचार हमारा, आचरण आपका'' के अन्तर्गत राष्ट्रीय सामजिक एवं जनहित में वैचारिक परिवर्तन के लिये जनता, राजकीय दल, राज नेता सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना।

6. सरकार व प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार (आर्थिक, वैचारिक एवं आधिकारिक दुराचरण) एवं अत्याचार (मानसिक, शारीरिक, आर्थिक एवं सामाजिक) के विरूद्ध जन–जागृति के लिये वैचारिक अभियान ''विचार हमारा, आचरण आपका'' के अन्तर्गत भ्रष्टाचार मुक्त सरकार व प्रशासन के लिये शिक्षा (सामाजिक सांस्कृतिक एवं अध्यात्म) प्रदान करने हेतु संगोष्ठी, सम्मेलन और जनसभाओं का आयोजन करना और सुविधा महैया करने के लिए सहयोग करना।

7. जाति एवं धर्म का भेद भाव न रखते हुए महिलाओं एवं बच्चों को समाज में सम्मानित व स्थान दिलाने हेतु शैक्षिक व कानूनी सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

8. निर्बल व असहाय महिलाओं का गृह विज्ञान कृषि आत्म निर्भरत के श्रोतों उपयोगी सेवा का व्यवहारिक प्रशिक्षण देकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर का प्रयास करना।

9. भ्रष्टाचार (आर्थिक, वैचारिक, आधिकारिक दुराचरण) एवं अत्याचार (मानसिक, शारीरिक, आर्थिक एवं सामाजिक) के विरूद्ध लड़ने के लिये सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रदेश, जिला तहसील, ब्लाक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर संगठन की इकाइयों का विस्तार करके संगठन की गतिविधियों का क्रियान्वित करना।

10. खादी ग्रामोद्योग पंचाचत उद्योग का विकास करना तथा स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना।
11. मानव कल्याण हेतु मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, मानवाधिकार आयोग लखनऊ एवं एण्टी करप्शन सी0बी0आई0 को सक्रिय सहयोग प्रदान करना।

12. समाज मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय/ विभागों तथा उनके विभागों/अनुभागों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को ही लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए (सेतु) का कार्य करना।

कमेटी का ध्वज तथा प्रतीक चिन्ह् मोनोग्राम

13. कमेटी का ध्वज दो रंगो नीला एवं लाल के समावेश से बना है जिसमें नीला रंग सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक एवं लाल रंग उत्पीड़न का प्रतीक है। लाल रंग के नीचे भाग में रखकर मानव कल्याण के विपरीत प्रभावहीन बनाया गया है।

कमेटी का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होने के कारण प्रतीक चिन्ह के मध्य में भारत वर्ष का मानचित्र दर्शाया गया है एवं मोनोग्राम के बीच में हथकड़ी लगे हुये व्यक्ति को भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को दर्शाया गया है जिसमें न्याय अन्याय की परिभाषा को समझा जा सकता है मोनोग्राम, बैनर, पोस्टर, विजिटिंग कार्ड, स्टीकर, लेटर पैट और प्रचार की सामग्री बनायी जायेगी।

5. कमेटी की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग
अ. आजीवन सदस्य : कोई भी व्यक्ति जो भारत का निवासी हो कमेटी को 1001/– रूपये सदस्यता शुल्क के रूप में अदा करेगा वह कमेटी को आजीवन सदस्य होगा। कमेटी की स्थापना के समय के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य संस्थापक सदस्य कहलायेगें।
ब. सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति कमेटी को 101/– वार्षिक देता रहेगा वह कमेटी का सामान्य सदस्य होगा।

6. सदस्यता की समाप्ति
1. मृत्यु हो जाने पर।
2. न्यायालय द्वारा दण्डित हो जाने पर।
3. दिवालिया हो जाने पर।
4. शुल्क न देने पर।
5. त्यागपत्र देने पर तथा स्वीकार हो जाने पर।
6. लगातार तीन बैठकों में बिना सूचना के अनुपस्थिति रहने पर।
7. अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर

अ. साधारण सभा। ब. प्रबन्धकारिणी कमेटी।

7. कमेटी के अंग
सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर सभी का गठन किया जायेगा।

8. साधारण सभा

अ. गठन : साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष दो बार तथा आवश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।
ब. बैठकें : सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व आवश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।
स. सूचना अवधि : सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व आवश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।
द. गणपूर्ति : साधारण सभा की उपस्थिति का कोरम 2/3 होगा स्थापित बैठक में कोरम का प्रतिबन्ध न होगा लेकिन ऐजेण्डा के विषय पूर्वत होगें।

य. साधारण सभा का अधिकार व कर्तव्य
1. प्रबन्धकारिणी कमेटी का चुनाव करना।
2. वार्षिक बजट पास करना।
3. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करना।
4. नियमों विनियमों में संशोधन करना।

9. प्रबन्धकारिणी कमेटी
अ. गठन : साधारण सभा में से साधारण सभा द्वारा निर्वाचित प्रबन्धकारिणी कमेटी होगी जिसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष तथा 9 सदस्य होगें इस प्रकार कुल संख्या 11 होगी।
ब. बैठकें : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार तथा आवश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।
स. सूचना अवधि : सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व आवश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।
द. गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी कमेटी की उपस्थिति का कोरम 2/3 होगा। स्थागित बैठक में कोरम का प्रतिबन्ध न होगा लेकिन एजेण्डा के विषय पूर्वत होगें।
य. रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी कमेटी में यदि किसी भी प्रकार का आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति प्रबन्धकारिणी के बहुमत से कर ली जायेगी।
र. प्रबन्धकारिणी सचिव के कर्तव्य :
1. वार्षिक बजट तैयार करना।
2. वार्षिक बजट अध्यक्ष/प्रबन्धकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करना।
3. कमेटी के उद्देश्यों की पूर्ति करना।
4. अध्यक्ष/सचिव दान, अनुदान, चन्दा सहायता ऋण आदि प्राप्त आय को उद्देश्यों की पूर्ति में व्यय करना।
ल. कार्यकाल : प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

10. संस्थापक/राष्ट्रीय अध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य
अ. अध्यक्ष :
1. दान, अनुदान, चन्दा, ऋण प्राप्त करना।
2. कमेटी के लिए चल अचल सम्पत्ति अर्जित करना।
3. कमेटी के विकास हेतु कार्य करना।
4. प्रशासनिक कार्य करना।
5. बिल व बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
6. उद्देश्यों की पूर्ति में कार्य करना। अभिलेखों को सुरक्षित रखना।
7. उपसमितियों पर अपना नियंत्रण रखना व उनके नियमों/उपनियमों को लागू कराना।
8. अध्यक्ष को निर्णायक मत देना मत बराबर होने पर एक मत अधिक देना।
9. संस्था के लिए नीति निर्धारण करना एवं क्रियान्वयन करना।

10. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, निस्काशन आदि की स्वीकृति प्रदान करना।
11. संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों की देखरेख करना।
12. संस्था के गठन निर्वाचन मनोनयन निस्काषन के सर्वोच्च अधिकार, संस्था के प्रचार–प्रसार, विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
13. संस्था के पदाधिकारी समितियों के अधिकार एवं कर्तव्य निश्चित करना, अधिकार प्रदान करने के सर्वोच्च अधिकार।
14. वित्तीय नियन्त्रण एवं अभिलेखों की अन्तिम स्वीकृति प्रदान करना।
15. संस्था की ओर से अथवा विरूद्ध किसी मामले की स्वयं पैरवी करना अथवा अन्य पदाधिकारी को अधिकृत करना।

अ. उपाध्यक्ष : अध्यक्ष की अनुपस्थिति नीतिगत विषयों को छोडकर अन्य सभी कर्तव्य एवं अधिकारों का निर्वाहन उपाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

ब. मंत्री के कर्तव्य व अधिकार :

1. संस्था की सहमति अनुमोदन, विचार–विमर्श से निम्न अधिकार कर्तव्य निर्वहन किये जायेगे।
2. सभी प्रकार की बैठकों का संचालन करना।
3. बैठक में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना।
4. बैठक आहूत करना।
5. सभी प्रकार की कार्यवाही को संचालित करना।
6. कार्यवाही को लिखना बैठक में कार्यवाही पढकर सुनाना।
7. बैठकों की सूचनायें सदस्यों एवं पदाधिकारियों को देना।
8. कमेटी की ओर से पत्र व्यवहार करना।
9. सदस्यों के नामों का सदस्यता रजिस्टर में अंकित करना।
10. त्याग पत्र प्राप्त कर अध्यक्ष के पास भेजना।
11. बैठक की तिथियों का अनुमोदन कराना।
12. अध्यक्ष के आदेशानुसर बैठक स्थगित करना तथा पुन: आहुत करने हेतु निर्देश देना।
13. संस्था के गठन पुर्नगठन, मनोनयन, निष्कासन आदि में अध्यक्ष का सहयोग प्रदान करना।
14. संस्था का साहित्य मटेरियल प्रपत्र, प्रचार प्रसार सामग्री आदि तैयार कराना एवं अध्यक्ष से स्वीकृति करना।
15. अन्य समस्त कार्य जो अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर सौपें जायेगें।
16. संस्था के विकास हेतु अन्य सभी कार्य करना।
17. संस्था के लिए योजना/परियोजना तैयार करना।
1. कमेटी के कोष सम्बन्धी कार्य करना। रखरखाव करना।
2. हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना, आय–व्यय व्यौरा सबूत के साथ अध्यक्ष/प्रबन्धकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करना।
3. सभी प्रकार के कैश को कैशबुक में इन्दाज करना।

11. कमेटी के नियमों : कमेटी के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से किया जायेगा।

12. कमेटी का कोष : कमेटी का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा पोस्ट आफिस या मान्यता प्राप्त बैंक में कमेटी के नाम खाता खोलकर कमेटी के अध्यक्ष हस्ताक्षरों से संचालित किया जायेगा।

13. कमेटी का आडिट : कमेटी का आडिट प्रतिवर्ष किसी सुयोग्य आडिटर द्वारा आडिट कराया जायेगा।

14. अदालती कार्यवाही : कमेटी द्वारा अथवा उसके विरूद्ध की गयी अदालती कार्यवाही का संचालन कमेटी के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी अथवा उसके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी एवं सदस्य पर होगा।

15. कमेटी के अभिलेख :
1. कार्यवाही रजिस्टर 2. सदस्यता रजिस्टर
3. एजेण्डा रजिस्टर 4. कैश बुक आदि

16. विघटन : कमेटी का विघटन व विघटित सम्मति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

17. सदस्यता विशेष : किसी भी पदधिकारी को मनोनीत करते समय उसका बायोडाटा आवश्यक है तथा इसके मनोनीत होने की सूचना शासन को देना अनिवार्य है। जिससे अपराधी प्रवृत्ति का कोई भी व्यक्ति संस्था में सम्मिलित न हो सके। प्रत्येक पदाधिकारी, सदस्य को परिचय पत्र रखना आवश्यक है। जिससे कि उसकी अलग पहचान रहे। परिचय पत्र प्रधान कार्यालय से जारी होगें।

पदाधिकारियों के अधिकार

संगठन की इकाइयों के पदाधिकारियों द्वारा अपने पदानुसार सरकार एवं प्रशासन स्तर पर जन समस्याओं के प्रति सूचना लिखित रूप से देना तथा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को पत्र के माध्यम से सुधार के लिये अवगत करना।

सड़क, बिजली, सिंचाई, अस्पताल, स्कूल, पेयजल, वृक्षारोपण आदि मूलभूत सुविधाओं के लिए केन्द्र सरकार/राज्य/सरकार/ (सांसद एवं विधायक) निधि तथा विश्व बैंक से वित्त पोषित विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत जन कल्याण से सम्बन्धित विकास की परियोजनाओं का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अनुरूप निरीक्षण व परीक्षण कर उनमें व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचर को उजागर करने तथा उन पर शासन स्तर से संवैधानिक कार्यवाही हेतु सरकार व प्रशासन स्तर पर विधिक पत्र–व्यवहार करना तथा की गई कार्यवाही का पूर्ण ब्यौरा अपने से ऊपर की इकाई तथा प्रान्तीय व राष्ट्रीय इकाई को भी भेजना।

संगठन की इकाइयों के पदाधिकारियों के कार्य

1.	अध्यक्ष	:	सभी क्षेत्रानुसार कार्य का नियंत्रण।
2.	उपाध्यक्ष	:	उपरोक्तानुसार सभी कार्यों में सहयोग करना।
3.	महासचिव	:	उपरोक्तानुसार सभी कार्यों में सहयोग करना।
4.	संगठन सचिव	:	संगठन बढ़ाना/ सभी में पहचान कराना।
5.	कल्याण सचिव	:	कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाना।
6.	कार्यक्रम सचिव	:	कमेटी के कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग देना।
7.	जनसम्पर्क अधिकारी	:	जनता में जागृति एवं अधिकारियों से सम्पर्क करना।
8.	कमेटी सलाहकार	:	नये–नये कार्य की प्रस्तावना करना।
9.	सुरक्षा अधिकारी	:	कार्यकर्ता की सुरक्षा तथा कमेटी कार्यों में मदद्।
10.	कार्यालय प्रभारी	:	कार्यालय की व्यवस्था देखना।
11.	निरीक्षक	:	कमेटी में त्रुटि/अव्यवहार की जांच करना।
12.	विधि सचिव	:	वैधानिक सलाह प्रदान करना।
13.	जन–कल्याण प्रमुख	:	शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगठन।
14.	मीडिया सचिव	:	कमेटी के कार्यक्रम एवं कार्यो को इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया के प्रेषित करना।
15.	प्रवक्ता	:	कमेटी के कार्यों एवं गतिविधियों की पूर्ण जानकारी जनता तक पहुँचाना।
16.	कोषाध्यक्ष	:	कमेटी के कोष की देखभाल करना।
17.	कमेटी सदस्य	:	अध्यक्ष और सचिव के आदेश पर कार्य करना।

नेशनल एण्टी करप्शन आपरेशन कमेटी ऑफ इण्डिया

National Anti Corruption Operation Commetee of India

ORGANISATION CHART

कार्यकारिणी समिति	Main Committee	No.	Code
अध्यक्ष	President	One	01
उपाध्यक्ष	Vice President	Four	02-05
महासचिव	Gen. Secretory	One	06
संगठन–सचिव	Organigation Secretory	Four	07-10
कल्याण–सचिव	Walfare Secretory	Four	11-14
कार्यक्रम–सचिव	Programme Secretory	Four	15-18
जनसम्पर्क–अधिकारी	Public Relation Officer	Four	19-22
सुरक्षा–अधिकारी	Security Officer	Four	23-36
निरीक्षक	Investigation	One	27
विधि–सचिव	Legal Secretary	Four	28-31
जन–कल्याण प्रमुख	Cheif Public Welfare	Four	32-35
मीडिया–सचिव	Media Secretory	Four	36-39
प्रवक्ता	Spokman	One	40
कोषाध्यक्ष	Trasurer	One	41

DIVISIONAL PROTECTION COMMITTEES

प्रभागीय संरक्षण समितियाँ	Seven each	No
21 समितियाँ 21 Committess	1. Chief	1
	2. Dy. Chief	2
	3. Secretary	1
	4. Dy. Secretary	3

1. प्रादेशिक समितियाँ	1. State Level Committees
2. मण्डलीय समितियाँ	2. Divnl. Committees
3. जनपदीय समितियाँ	3. Disst. Committees
4. तहसील समितियाँ	4. Tehsil Committees
5. ब्लाक समितियाँ	5. Block Committees
6. नगर समितियाँ	6. Area Committees

नोट– जाँचदल अपने क्षेत्र के अन्तर्गत हुए अपराधों, उत्पीड़न की जानकारी मिलने पर तत्काल मौके पर जाकर जाँच कार्य करेगें तथा अपनी रिपोर्ट अपराध उत्पीड़न से सम्बन्धित प्रभागीय संरक्षण प्रमुख को प्रेषित करेगें।

नेशनल एण्टी करप्शन आपरेशन कमेटी ऑफ इण्डिया

National Anti Corruption Operation Commetee of India

ORGANISATION CHART

DIVISIONAL PROTECTION COMMITTEES

		Code
1. Miniorities Protection	(अल्पसंख्यक संरक्षण)	01
2. Woman Protection	(महिला संरक्षण)	02
3. SC/ST Protection	(अजा/जजा/संरक्षण)	03
4. Child Protection	(बाल संरक्षण)	04
5. Admin. Protection	(प्रशासनिक संरक्षण)	05
6. Social Protection	(सामाजिक संरक्षण)	06
7. Eco. Protection	(आर्थिक संरक्षण)	07
8. Religious Protection	(धार्मिक संरक्षण)	08
9. Educational Protection	(शैक्षणिक संरक्षण)	09
10. Industrial Protection	(औद्योगिक संरक्षण)	10
11. Political Protection	(राजनीतिक संरक्षण)	11
12. Traders Protection	(व्यापारिक संरक्षण)	12
13. Youth Protection	(युवा संरक्षण)	13
14. Old age Protection	(वृद्धावस्था संरक्षण)	14
15. Diseabled Protection	(विकलांग संरक्षण)	15
16. Employees Protection	(कर्मचारी संरक्षण)	16
17. Labour Protection	(श्रम संरक्षण)	17
18. Farmers Protection	(कृषक संरक्षण)	18
19. Public Servent Protection	(लोक सेवक संरक्षण)	19
20. Health Protection	(स्वास्थ्य संरक्षण)	20
21. Polic Protection	(पुलिस संरक्षण)	21
Investigation Protection	(जाँच दल)	22
Action Team Protection	(जुझारु दल)	23

संगठनात्मक निर्देश

1. नेशनल एण्टी करप्शन एण्ड ऑपरेशन कमेटी एक संवेदनशील व अहम मुद्दा है जिसके निवारण हेतु उच्च एवं विधिक ज्ञान आवश्यक है। कमेटी में शिक्षित, अनुभवी, समाजसेवी तथा कानून जानने वाले सदस्य अधिक उपयोगी साबित होगें। अस्तु बुद्धिजीवी शिक्षक डाक्टर, इंजीनियर, समाज सेवी, वकील, जज, मजिस्ट्रेट एवं उच्चाधिकारी अवकाश प्राप्त लिये जाने के अधिक प्रयास किये जाने चाहिए।

2. भ्रष्टाचार का ज्ञान समाज को पूर्णतः कराने के दृष्टिकोण से नुक्कड सभायें, क्षेत्रीय सम्मेलन, प्रसार शिविर आयोजित करके आम जनता को एण्टी करप्शन के विषय में सम्पूर्ण जानकारी देनी चाहिए।

3. पोस्टर, बैनर्स, होल्डिंग, सिनेमा साइडर्स, दीवार विज्ञापन, प्रचार आदि की व्यवस्था अधिक से अधिक विकसित की जानी चाहिए। ताकि हर आम खास व्यक्ति अपने साथ हो रहे भ्रष्टाचार के विषय में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर अपने उच्च पदाधिकारी को अवगत करा सके।

4. सभी पदाधिकारी 101/–रू0 प्रतिवर्ष सदस्यता शुल्क प्रतिवर्ष सदस्यता शुल्क देना आवश्यक है। आजीवन सदस्यता शुल्क 1001/– है। अध्यक्ष एवं वरिष्ट पदाधिकारियों को कमेटी का आजीवन सदस्य होना चाहिए। सदस्यता शुल्क की प्राप्ति के उपरान्त पदाधिकारियों को मनोनयन परिचय पत्र आदि जारी किये जायेगें।

5. जनपद कार्यालय नगर में ऐसे स्थान पर बनाया जाना चाहिए जहाँ अधिक संख्या में पीड़ित पक्ष पहुँच सके।

6. शहर क्षेत्र में आवश्यकतानुसार शिकायती पत्र पेटिकायें लगायी जानी जाहिए, जिनमें लोग अपनी समस्यायें शिकायतें भेज कर न्याय प्राप्त कर सके।

7. विधि समिति का गठन एन्टीकरप्शन के अध्यक्ष के माध्यम से विचार विमर्श करके किया जाना चाहिए।

8. संगठन का चार्ट पूर्व में अंकित है, तदानुसार ही योग्य, प्रतिभावान स्वयंसेवी जनों की टीम तैयार की जानी चाहिए।

नियम व शर्तें

1. सदस्यता शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा नगद से ही दें।
2. परिचय पत्र या मनोनयन पत्र खो जाने पर उसकी सूचना तुरन्त पुलिस को व संस्था के कार्यालय को दें।
3. परिचय पत्र खो जाने पर 200/– रूपये जमा करके द्वितीय प्रति निर्गत की जायेगी।
4. सदस्यता आवेदन फार्म में की गयी गलत/ अपूर्ण घोषण के लिए सदस्य स्वयं जिम्मेदार होगें, जिसके लिए उनके विरूद्ध निष्कासन/ आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
5. आपराधिक गतिविधियों में अथवा संगठन संविधान तथा नियमावली के विपरीत आचरण या अनुशासनहीनता किए जाने पर सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी।
6. किसी अन्य सामानान्तर संस्था/ संगठन की सदस्यता निषिद्ध है।
7. जमा की गयी सदस्यता राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जायेगी और न ही समायोजित की जायेगी।
8. समिति की समाप्ति पर अथवा संगठन से हटाने पर परिचय पत्र एवं मनोनयन पत्र लौटाना आवश्यक है।
9. यह पद पूर्णतयः निःस्वार्थ एवं मनोदयती है। किसी भी प्रकार वेतन/ सेवापकल की अपेक्षा न करें।
10. मनोनयन प्राप्ति के उपरान्त इसकी सत्यता की जांच संगठन के वेबसाइड अथवा प्रधान कार्यालय से की जा सकती है। प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त निर्गत मनोनयन पत्र/ परिचय पत्र अवैध होगें।
11. संस्था की नीति का भली–भाँति पालन करना होगा।
12. पद या पहचान पत्र का दुरूपयोग पर उचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
13. निर्धारित सदस्यता शुल्क से अधिक भुगतान कदापि न करें।
14. यदि कोई पदाधिकारी अधिक शुल्क माँगता है तो इसकी शिकायत राष्ट्रीय कार्यालय या उच्च पदाधिकारी से तुरंत करें।
15. आपको समाज की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना होगा।
16. हमेशा सच्चाई का साथ देना होगा।
17. मनोनयन प्रक्रिया में 15 दिन से लेकर 30 दिन तक का समय लग सकता है।
18. सभी समक्ष कार्यालय की रिपोर्ट एवं संस्तुति होने पर ही मनोनयन प्रक्रिया हो सकेगी।
19. किसी भी रिपोर्ट/संस्तुति या पद पर सहमति न होने पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी स्वयं अपना निर्णय ले सकती है।
20. राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपने सभी अधिकार सुरक्षित रखती है।
21. सदस्यता शुल्क – 1001/– पदाधिकारी (आजीवन सदस्य)
22. पदाधिकारी की पदोन्नति उसके कार्य की वार्षिक रिपोर्ट (सम्बन्धित कार्यालय रिपोर्ट) के आधार पर की जायेगी।
23. सभी अध्यक्षों को अपने कार्यालय की मासिक रिपोर्ट माह के पहले सप्ताह में अपने उच्च पदाधिकारियों को सौंपनी होगी।
24. सभी अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ महीने में एक मीटिंग अवश्य करेगें उस मीटिंग की सूचना सभी कार्यकर्ताओं को 7 दिन पहले लिखित अथवा मोबाइल से देनी चाहिए।
25. मीटिंग में अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण लिखित रूप में कार्यालय में देना होगा।

हस्ताक्षर आवेदक

शपथ पत्र

मैं.....पुत्र.....

निवासी.....

शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि –

यह कि उपरोक्त विवरण पूर्णतयः सत्य है –

1. यह कि मैने सदस्यता शुल्क 1001/– (एक हजार एक रूपया मात्र) से अधिक भुगतान नहीं किया है।
2. यह कि मैं अपनी इच्छा से नेशनल एण्टी करप्शन एण्ड कॉपरेशन कमेटी ऑफ इण्डिया का सदस्य बन रहा/ रही हूँ।
3. मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि आज दिनांक से पूर्व किसी भी आपराधिक आर्थिक एवं सामाजिक अपराधों में कभी सम्मिलित नहीं रहा/रही हूँ और इस बावत कभी किसी प्रकार न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं हुआ/हुई है।
4. यह कि जमा किया गया सदस्यता शुल्क किसी भी स्थिति में मुझे वापस नहीं किया जायेगा और न ही समायोजित होगा।
5. संगठन के निर्देशों के अन्तर्गत यदि में निर्धारित समय सीमा में अपने अधीनस्थ सदस्यों का गठन पूर्ण न कर सका तो मेरा मनोनयन पत्र स्वमेव निरस्त हो जायेगा, यह मुझे स्वीकार है।
6. मैं प्रतिज्ञा करता / करती हूँ कि हमेशा संस्था के उद्देश्यों के प्रति ईमानदार, अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहूँगा / रहूँगी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष/ उच्च पदाधिकारियों के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करूगां / करूगीं। संस्था के उद्देश्यों / नियमावली के विरूद्ध में किसी भी कार्य के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की चेतावनी / दण्डात्मक कार्यवाही मुझे अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार्य होगी।

शपथी के हस्ताक्षर

संगठन के पदाधिकारियों को सरकार व प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उत्पीड़न से सम्बन्धित किसी भी विषय के संज्ञान में आने पर जनहित एवं राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारियों एवं राजकीय वित्तीय सहायत प्राप्त विभिन्न संस्थानों से सम्बन्धित सम्बन्ध में पत्राचार करते हुए किसी भी सूचना को प्राप्त करने का अधिकार है। जिसे वह अपने से ऊपरी कमेटी के पदाधिकारियों से विचार–विमर्श करके लिखित कार्यवाही कर सकता है। सुविधा के लिए सूचना अधिकार नीचे दिया जा रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

धारा 3 : उपबन्धों के अधीन सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है ।

धारा 4 : लोक प्राधिकारी की बाध्यतायें (जिम्मेदारिया)

1. क. सूचनाओं को इस रूप में रखना जिससे सूचना प्रदान करने में आसानी हो । समस्त सूचनाओं को कम्प्यूटरीकृत करके उन्हें इंटरनेट पर उपलब्ध कराना

ख. समस्त सार्वजनिक प्राधिकरण निम्नलिखित सूचनायें प्रकाशित करायेगें जो इन रूप में हो तकि जन साधारण को असानी से उपलब्ध हो ।

- अपने संगठन/संस्था/कार्यालय का ब्यौरा, उसके कार्य व कर्तव्य ।
- उसके अधिकारियों और कर्मचारी के अधिकार और जिम्मेदारियाँ ।
- फैसले लेने की प्रक्रिया और पर्यवेक्षण तथा जवाबदेही ।
- कार्य का निर्वाहन करने के लिये बनाये गये मानदण्ड ।
- कार्यो को पूरा करने के लिए कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम निर्देश्न मैनुअल और रिकार्ड ।
- संगठन/संस्था/ कार्यालय द्वारा गठित ऐसे बोर्ड, परिपत्रों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण की घोषणा, जिसमें दर्सो या उससे ज्यादा व्यक्ति है । साथ ही यह सूचना कि उनकी बैठकें जनता के लिए खुली हुई है या नहीं और इनकी बैठकों में हुई कार्यवाही का ब्यौरा जनता को दिया जा सकता है या नहीं ।

2. कानून लागू होने के 100 दिन के अन्दर जनसूचना अधिकारी व सहायक जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति

धारा 5 : जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति :

3. केन्द्रीय/राज्य सूचना अधिकारी सूचना चाहने वाले के आग्रह पर ध्यान देगा तथा उनको समुचित सहायता प्रदान करेगा ।

4. लोक सूचना अधिकरी किसी भी दूसरे अन्य अधिकारी की सहायता प्राप्त कर सकता है ।

धारा 6 : (3) यदि सूचनार्थ आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को दिया गया है तो :
वह लोग पदाधिकारी जिसको ऐसा आवेदन दिया गया है आवेदन को या उसके किसी भाग को जो समुचित हो को अन्य लोक पदाधिकारी को अन्तरित करेगा तथा आवेदनकर्ता को तत्काल इसकी सूचना देगा । परन्तु यह कि इस उपधारा के अग्रसारण में अंतरण जितना जल्दी व्यवहार्य हो, कर दिया जाएगा लेकिन किसी भी स्थिति में आवेदन प्राप्त करने के 5 दिन बाद नहीं करेगा ।

धारा 7 : निवेदन का निस्तारण :
सभी सरकारी विभागों में एक अधिकारी को केन्द्रीय/राज्य सूचना अधिकारी नामित किया गया है जिसे मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना है । साथ ही सभी उप विभगीय स्तर पर एक अधिकारी को केन्द्रीय/राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी नामित किया गया है । (अनुच्छेद 5 (2)) जो कानून के तहत प्रार्थना पत्र कर संबन्धित जनसूचना अधिकरी को या जनसूचना आयोग को अग्रसारित करेगा । केन्द्रीय/राज्य जनसूचना अधिकारी अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन हेतु अन्य अधिकारी से सहायता ले सकता है और इस कानून के उल्लघंन की दशा में उक्त अधिकारी जन सूचना अधिकारी की तरह जिम्मेदार ठहराया जाएगा । (अनुच्छेद 5 (5)) ।

जन सूचना अधिकारी के कर्तव्य निम्नलिखित है -

- सूचना मांगने वाले व्यक्ति से मिले अनुरोध पर जन सूचना अधिकारी कार्यवाही करेगा । (अनुच्छे 5 (5)) ।
- लिखित अनुरोध करने में नागरिकों को उचित सहायता करेगा । (अनुच्छेद 6 (1)) ।
- यदि मांगी गई सूचना किसी अन्य सरकारी संस्थान से सम्बन्धित है तो प्रार्थना प्राप्त करने वाला जन सूचना अधिकारी उस प्रार्थना पत्र को 5 दिनों के अंदर संबन्धित सरकारी संस्थान को हस्तांतरित करके प्रार्थी को सूचित करेगा । (अनुच्छेद 6 (3)) ।
- आवेदन मिलने के 30 दिनों के अंदर या तो सूचना उपलब्ध करानी होगी या कारण बताते हुए अनुरोध अस्वीकार करना होगा । (अनुच्छेद 7 (1)) ।
- यह समय सीमा 48 घण्टे है यदि सूचना जीवन या स्वतंत्रता से सम्बन्धित है । (अनुच्छेद 7 (1)), 35 दिन है यदि आवेदन सहायक जन सूचना अधिकारी को दिया गया है । (अनुच्छेद 5(2)), 40 दिन यदि कोई तीसरे पक्ष से सम्बन्धित सूचना है (अनुच्छेद 11 (3)) और 45 दिन यदि सूचना किसी सुरक्षा का अधिसूचना एजेन्सी द्वारा मानवाधिकार हनन से सम्बन्धित है । (अनुच्छेद 24 (1)) 1
- अगर नियमों के मुताबिक तय सीमा के अंदर सूचना उपलब्ध नही कराई जाती है तो अपने आप यह मान लिया जाएगा कि जन सूचना अधिकारी ने आवेदन का अनुरोध नामंजूर कर दिया
- (अनुच्छेद 7(2)) ।
  यदि मांगी गई सूचना देने से इंकार किया जाता है तो केन्द्रीय/राज्य जनसूचना अधिकारी को प्रार्थी को इंकार का कारण बताना होगा, इस निर्णय के विरूद्ध अपील करने की समय सीमा बतानी होगी
- और अपील अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता बताना होगा । (अनुच्छेद 7 (8))
  नागरिकों को सूचना आमतौर पर उसी प्रारूप में उपलब्ध करानी होगी, जिस प्रारूप में सूचना मांगी
- गई है । (अनुच्छेद 7 (9)) ।
  यदि मांगी गई सूचना का कोई हिस्सा आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है तो लोक सूचना अधिकारी आवेदक को यह नोटिस देगा कि उसे रिकार्ड के उस हिस्से के आधार पर ही सूचना मुहैया कराई जा रही है जिसे सार्वजनिक किया जा सकता है । वह आवेदक को यह फैसला लेने वाले
- अधिकारी का नाम और पद भी बताएगा । (अनुच्छेद 10 (2)) ।
  धारा 8 (झ) : मंत्रिपरिषद के निर्णयों, उनके कारणों और यह सामग्री जिसके आधार पर निर्णय लिये गये थे, को निर्णय लेने के बाद और प्रकरणों को पूर्णतया या समाप्ति के पश्चात् सार्वजनिक किया
- जायेगा । परन्तु वे मामले जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूट के अधीन है को प्रकट नहीं किया जोयगा ।
  अनुच्छेद 8 में समस्त बंधनों के होते हुए भी जो सूचना संसद या राज्य विधान मंडल को देने से इंकार
- नहीं की गई है व किसी व्यक्ति को देने से भी इंकार नहीं की जा सकती है ।
  अनुच्छेद 8 (1) (ए) (सी) (1) के अन्तर्गत आने वाली सूचना यदि 20 साल पहले की किसी घटना
- या मुददे से सम्बन्धित है तो सूचना प्रदान करनी होगी । (अनुच्छेद 8 (3)) ।
  इस सबके बावजूद सार्वजनिक प्राधिकरण सूचना उपलब्ध करा सकता है यदि वही संतुष्ट है कि सूचना प्रदान करने से होने वाला जनहित उससे होने वाली क्षति से अधिक है (अनुच्छेद 8 (2)) ।

अपील

1. कोई प्रार्थी जिसे निर्धारित समय सीमा के अंदर जवाब नहीं मिला या जो उक्त अधिकारी के निर्णय असंतुष्ट है, वह समय सीमा बीतने या निर्णय मिलने के 30 दिनों के अंदर उस जन सूचना आधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी के पास अपील कर सकता है जो अपील अधिकारी होगा । (अनुच्छेद 19 (1))

2. अपील अधिकारी के पास की गई अपील का निस्तारण 30 दिनों के अंदर होना चाहिये । विलाम्बित
   रूप से यह निस्तारण 45 दिनों के अंदर किया जा सकता है परन्तु विलाम्ब के कारणों को लिखित रूप में अंकित करना होगा । (अनुच्छेद 19 (6)) ।

3. अपील अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध दूसरी अपील 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय/राज्य सूचना अयोग को की जा सकती है । (अनुच्छेद 19 (3))

4. किसी भी अपील की सुनवाई के दौरान यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय/राज्य जन सूचना अधिकारी की होगी कि मांगी गई सूचना न देना न्याय संगत था । (अनुच्छेद 19 (5))

5. उक्त दोनों अपीलें निर्धारित समय सीमा के बाद भी स्वीकार की जा सकती है यदि सम्बन्धित अपील अधिकारी या आयोग संतुष्ट होता है कि अपील में विलम्ब के पर्याप्त कारण है ।

केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग के पास अपील :

निम्न स्थितियों में अयोग के पास अपील जा सकती है (अनुच्छेद 8 (1)) ।

ए. यदि कोई केन्द्रीय/राज्य सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं है या यदि सहायक केन्द्रीय/ राज्य जनसूचना अधिकारी प्रार्थना पत्र से इंकार करता है ।

बी. यदि मांगी गई सूचना देने से इंकार कर दिया गया है ।

सी. यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर जवाब नहीं दिया गया है ।

डी. यदि सूचना प्रदान करने के लिए मांगी गई राशि ज्यादा लगती है ।

ई. यदि अपूर्ण या गलत या भ्रामक सूचना दी गई है ।

एफ. इस कानून के तहत दस्तावेज प्राप्त करने से सम्बन्धित कोई अन्य कारण से ।

शिकायत पर त्वरित कार्यवाही के लिए केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग को निम्न जानकारियाँ अवश्य दें
अपीलकर्ता का नाम व पता ।
केन्द्रीय/राज्य सूचना अधिकारी का नाम व पता जिसके निर्णय के विरूद्ध अपील की जा रही है ।
निर्णय आदेश के विवरण एवं क्रमांक यदि हां जिसके विरूद्ध अपील की जा रही है ।
वांछित आदेश के लिये अनुरोध एवं उसका आधार ।
अन्य कोई जानकारी जो आयोग के लिए निर्णय देने हेतु आवश्यक समझी जा सकती है ।
यदि केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग कारणों से संतुष्ट है तो वह जांच शुरू कर सकता है । जांच के दौरान आयोग के पास सिविल कोर्ट के समान अधिकार होगें । (अनुच्छेद 18 (3)) जैसे–

क. किसी को सम्मन करना, अपने सामने उपस्थित होने के कारण कहना शपथ लेकर गवाही देने को कहना, शपथ लेकर लिखित सबूत पेश करने को कहना और उन्हें दस्तावेज पेश करने को बाध्य करना ।

ख. जांच के दौरान आयोग किसी भी दस्तावेज का परीक्षण कर सकता है जो सम्बन्धित सरकारी संस्था के पास है ।

ग. शपथ पत्र पर साक्ष्य ले सकता है ।

घ. किसी न्यायालय का कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक दस्तावेज या उसकी प्रतिलिपि मांग सकता है । केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा । यह सम्बन्धित सरकारी संस्थान को इस कानून का पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है, प्रार्थी को क्षतिपूर्ति करा सकता है, कानून में वर्णित दंड सुना सकता है, या अपील को निरस्त कर सकता है ।

जुर्माना

केन्दीय/राज्य सूचना आयोग निम्न आयोग द्वारा निम्न पेनाल्टी लगाई जा सकती है (अनुच्छेद 20 (1))
अनावश्यक विलम्ब हेतु रू 250/– प्रतिदिन जो अधिकतम् रू 2500/– तक हो सकती है ।
अवैधानिक रूप से प्रार्थना पत्र लेने से मना करने पर, गलत उद्देश्य से सूचना देने से मना करने पर, जाने हुए गलत सूचना पर, सूचना को नष्ट करने पर रू 25000/– तक अर्थदण्ड ।
बार–बार या गम्भीर उल्लघंन करने पर विभागीय कार्यवाही की संस्तुति (अनुच्छेद 20 (2)) । हालांकि किसी आपराधिक कार्यवाही का प्रावधान नहीं है ।

केन्द्रीय सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियमावली, 2005

7. अपीलार्थी या परिवादी की व्यक्तिगत प्रस्तुति –

1. अपीलार्थी या परिवादी, को किसी भी मामले में उस तिथि से कम से कम पूर्ण सात दिनों के पूर्व सुनवाई की तिथि को सूचित किया जायेगा ।
2. अपीलार्थी या परिवादी, सुनवाई के समस अपने उक्ति प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत हो सकता है ।
3. जहां आयोग संतुष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई में हाजिर होने से रोका गया है तव वह सुनवाई का दूसरा अवसर प्रदान कर सकता है ।
4. अपीलार्थी या परिवादी, अपील की प्रक्रिया में अपने विषय, बिन्दुओं को प्रस्तुत करते समय व्यक्ति को सहायक खोज करता है जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा है वह विधि व्यवसायी नहीं हो सकता ।

8. आयोग का आदेश :
आयोग का आदेश खुली प्रक्रिया में सुनाया जायेगा और रजिस्ट्रार या इस उद्देश्य के लिए आयोग द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी द्वारा लिखितम रूप में सम्यक रूप से अधिप्रमाणित होगा ।

9005153760